कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11965/2020 नूर मोहम्मद बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2021 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थी ने अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2018 विषय गणित में चयन वर्ग OBCM, EX में वरीयता क्रमांक 674 पर चयनोपरान्त विभाग द्वारा याचिकार्थी को विकल्प पत्र में प्राथमिकता पर अंकित अजमेर मण्डल के स्थान पर जोधपुर मण्डल आवंटित जबकि समान चयन वर्ग OBCM, EX में उससे निम्न वरीयता क्रमांक 717 (रोल नं. 500033) के अभ्यर्थी को अजमेर मण्डल आवंटित किया गया। याचिकार्थी के कथनानुसार उसके पिता की वर्ष 2014 में मृत्यु हो चुकी है व बडा भाई सेना में झारखण्ड में कार्यरत है, इस कारण उसके परिवार व वृद्ध माताजी की समस्त जिम्मेदारी उस पर है। अतः याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर जोधपुर मण्डल के स्थान पर अजमेर मण्डल आवंटित कर पदस्थापित करने की मांग की है।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2021 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों को सम्भाग आवंटन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश दिनांक 02.07.2020 के अनुसार "सम्भागवार विज्ञापित पदों की संख्या के बराबर अभ्यर्थी उस सम्भाग को आवंटित किए जावें। वरिष्ठ अध्यापक की रिक्तियों (आरक्षण सहित) की गणना सम्भागवार ही की जाती है अतः सम्भाग में वर्गवार (अनारक्षित श्रेणी/आरक्षित श्रेणियां यथा महिला/एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी/सहरिया/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/विधवा/परित्यक्ता इत्यादि) विज्ञापित पदों की संख्या के अनुरूप अभ्यर्थी के चयन वर्गवार, स्वयं के वर्ग, मेरिट के आधार पर तथा अभ्यर्थियों से प्राप्त विकल्प पत्र में अंकित सम्भाग की प्राथमिकता के अनुसार सम्भाग आवंटन किया जावें," के निर्देश दिए गए थे, जिसके अनुसार ही सम्भाग आवंटन किया गया है।

याचिकार्थी का आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2018 में वरीयता क्रमांक 674 वर्ग एवं चयन वर्ग OBCM, EX (अन्य पिछड़ा वर्ग पुरूष, भूतपूर्व सैनिक) पर चयन कर दिनांक 21.08.2020 को अभिस्तावना मय आवेदन पत्र भिजवाना पाया गया। विभाग को याचिकार्थी की अभिस्तावना प्राप्त होने की दिनांक 21.08.2020 से पूर्व ही याचिकार्थी के विकल्प पत्र में प्रथम 03 प्राथमिकताओं पर अंकित मण्डलों में याचिकार्थी के समान वर्ग एवं चयन वर्ग OBCM, EX (अन्य पिछड़ा वर्ग पुरूष, भूतपूर्व सैनिक) के सभी विज्ञापित पद प्रथम मण्डल आवंटन प्रक्रिया दिनांक 17.04.2018 द्वारा भरे जा चुके थे। अतः शासन के दिशा–निर्देश दिनांक 02.07.2020 एवं तय विभागीय नीति के अनुसार याचिकार्थी के समान वर्ग एवं चयन वर्ग OBCM, EX (अन्य पिछड़ा वर्ग पुरूष, भूतपूर्व सैनिक) में प्रथम मण्डल आवंटन की कार्यवाही के पश्चात् मण्डलों में उपलब्ध विज्ञापित पदों के आधार पर दिनांक 03.11.2020 को द्वितीय मण्डल आवंटन प्रक्रिया द्वारा विकल्प पत्र में चौथी प्राथमिकता पर अंकित जोधपुर मण्डल आवंटित किया गया।

याचिकार्थी द्वारा समान वर्ग एवं चयन वर्ग OBCM, EX (अन्य पिछड़ा वर्ग पुरूष, भूतपूर्व सैनिक) में स्वयं से निम्न वरीयता क्रमांक 717 के अभ्यर्थी महेन्द्र कुमार को अजमेर मण्डल आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थी की अभिस्तावना प्रथम मण्डल आवंटन दिनांक 17.04.2018 से पूर्व प्राप्त होने के कारण प्रथम मण्डल आवंटन प्रक्रिया दिनांक 17.04.2018 द्वारा अभ्यर्थी महेन्द्र कुमार को अजमेर मण्डल आवंटित किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2018 में याचिकार्थी से संबंधित वर्ग एवं चयन वर्ग OBCM, EX (अन्य पिछड़ा वर्ग पुरूष, भूतपूर्व सैनिक) में याचिकार्थी की अभिस्तावना प्राप्त होने के पश्चात याचिकार्थी के मण्डल आवंटन दिनांक द्वारा याचिकार्थी से कनिष्ठ किसी भी अभ्यर्थी को याचिकार्थी को आवंटित जोधपुर मण्डल से पूर्व उसके विकल्प पत्र में अंकित मण्डल नियुक्ति हेतु आवंटित नहीं किया गया है।

विभाग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक पद हेतु मण्डल आवंटन के संबंध में पात्र अभ्यर्थियों की पारस्परिक तुलना उनके अभिस्तावना दिनांक, मण्डल आवंटन दिनांक एवं वर्ग व चयन वर्गवार ही की जा सकती है क्योंकि विभाग को आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की अभिस्तावना एक साथ प्राप्त न होकर विभिन्न चरणों में प्राप्त हुई है, अतः सम्पूर्ण अभिस्तावना प्राप्त होने का इन्तजार कर पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया को बाधित/विलम्ब नहीं किया जा सकता था।

राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक का पद मण्डल स्तर का है, जिसका नियुक्ति अधिकारी संबंधित मण्डल का संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) (पूर्व में उप निदेशक) है। अतः संयुक्त निदेशक (समस्त सम्भाग) रोस्टर के आधार पर वर्गवार आरक्षण के अनुसार अर्थना तैयार कर विभाग को प्रेषित करता है। विभाग सभी मण्डलों से वर्गवार प्राप्त अर्थना को संकलित कर वर्गवार योग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु अर्थना आयोग को प्रेषित करता है। आयोग परीक्षा का आयोजन कर अर्थना में प्रदर्शित वर्गवार अभ्यर्थियों का चयन कर चयन वर्गवार अभिस्तावना विभाग को नियुक्ति हेतु प्रेषित करता है। आयोग से चयन वर्गवार अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु प्राप्त अभिस्तावना के अनुसार विभाग द्वारा मण्डल आवंटन की कार्यवाही आयोग को प्रेषित मण्डलवार वर्गवार अर्थना की सीमा तक की जाती है। जिस मण्डल में वर्गवार जितने पद विज्ञापित किये जाते हैं, उतने ही अभ्यर्थी वर्ग एवं चयन वर्गवार नियुक्ति हेतु आवंटित किये जाते है। अतः मण्डल आवंटन के समय अथवा वर्तमान में किसी मण्डल में रिक्त पद के आधार पर याचिकार्थी द्वारा पदस्थापन की मांग औचित्यपूर्ण नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही पदस्थापन किए जाते हैं।

अतः याचिकार्थी द्वारा जोधपुर मण्डल के स्थान पर अजमेर मण्डल आवंटित कर पदस्थापन हेतु की जा रही मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाए जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा./संस्था/एफ–2/को.के./जोध/13092/2020 दिनांकः– 16.03.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
5. सहायक निदेशक (विधि) कार्यालय हाजा को सूचनार्थ
6. याचिकार्थी नूर मोहम्मद पुत्र श्री भंवर लाल खान, निवासी गांव–कुरली, पोस्ट–डिकावा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर (रजिस्टर्ड)
7. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)